

सेना प्रमुख के कार्यकाल का वसितार

स्रोत: हट्टिसुतान टाइम्स

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of Cabinet- ACC) ने वर्तमान सेनाध्यक्ष (Chief of the Army Staff- CoAS) जनरल मनोज पांडे को एक माह का सेवा वसितार प्रदान किया है।

- CoAS, सेना प्रमुख के रूप में कार्य करता है और सेना से संबंधित मामलों पर रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है तथा भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
- पाँच दशकों में इस प्रकार के केवल दो सेवा वसितार दिये गए हैं; पहला जनरल GG बेवूर को, जिन्होंने वर्ष 1973 में फील्ड मार्शल SHFJ मानेशों के सेवानिवृत्त होने के पश्चात सेना प्रमुख का पद संभाला था।
- ACC ने सेना नियम 1954 के नियम 16 A(4) के तहत वर्तमान सेना अध्यक्ष (CoAS) के सेवा के वसितार को उनके सामान्य कार्यकाल से अधिक एक माह के लिये मंजूरी दी, जो "सेवाओं की अनिवार्यताओं" के आधार पर अधिकारियों को बनाए रखने से संबंधित है जिस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेती है।
 - CoAS, भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है, जिसे ACC द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- CoAS नियुक्ति के तीन साल बाद अथवा 62 वर्ष की आयु में, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त हो जाता है।

और पढ़ें: भारत में रक्षा एकीकरण को आगे बढ़ाना

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/extending-tenure-of-current-army-chief>